उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ पर दिनांक 18-5-87 को हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1987 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री खान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री माता प्रसाद		सदस्य
3-	श्री योगेश बंसल		सदस्य
4-	श्रीमती उमा त्रिपाठी		सदस्य
5-	श्री ए०पी०सिंह	सचिव, आवास एवं नगर विकास	सदस्य
6-	श्री जे०एन०सक्सेना	संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग-2	सदस्य
7-	श्री पी०के०मिश्र	संयुक्त सचिव, (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8-	श्री एन०एस०जौहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
9-	श्री चन्द्र पाल	आवास आयुक्त	सदस्य
10-	श्री वेद प्रकाश शर्मा	अपर आवास आयुक्त	सचिव

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 18-4-87 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	तृतीय/(1)/87	दिनांक 18-4-87 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि इस शर्त के साथ की गयी कि मद संख्या-2, 3, 4 चूंकि पूर्व एजेन्डा में नहीं था। अतः इन्हें अन्य विषय में माना जाय।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 12-3-87 की अनुपालन आख्या।	तृतीय/(2)/87	परिषद द्वारा दिनांक 12-3-87 को हुई बैठक में लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन से परिषद को अवगत कराया गया।
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	तृतीय/(3)/87	दिनांक 14-5-87 को अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के कार्यवृत्त को परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। परिषद के अनुमोदनोपरान्त अध्यक्ष जी ने विचार व्यक्त किया कि विकास कार्यों पर ही अधिक बल दिया जाय एवं विकसित भूमि पर ही भवन बनाये जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि जो लक्ष्य गत वर्षों में पूरे नहीं होते हैं उनके विरुद्ध आवंटित धन एवं अवशेष भवन की स्थिति अलग से प्रस्तुत की जाय।

1	2	3	4
4-	श्री कैलाश सिंह लेखपाल की सेवाओं का नियमितिकरण।	तृतीय/(4)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
5-	श्री पी०डी०टण्डन, आशुलिपिक की ज्येष्ठता एवं सेलेक्शन ग्रेड (उच्च वेतनमान) देने के संबंध में।	तृतीय/(5)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
6-	श्री उत्तम चन्द्र बंसल, सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(6)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
7-	श्री उत्तम चन्द्र बंसल, सहायक अभियन्ता की दक्षतारोक दिनांक 1-8-76 से पार करने से दिनांक 1-8-76 से 31-7-79 तक अवशेष वेतन के भुगतान करने के आदेश के विरुद्ध अपील।	तृतीय/(7)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
8-	तत्कालीन आवास आयुक्त के आदेश सं०-3104-सतर्कता-13/86 (823)) दिनांक 22-8-85 तथा 3105 सतर्कता-13/86(823) दिनांक 22-8-86 के विरुद्ध श्री गिरीश चन्द्र, अवर-अभियन्ता के द्वारा दिनांक 30-12-86 को प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवायी के प्रसंग में।	तृतीय/(8)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
9-	तत्कालीन आवास आयुक्त के आदेश सं०-2291/सतर्कता-115/84 (707) दिनांक 19-7-86 के विरुद्ध श्री एस०एन०शर्मा, भूतपूर्व अवर अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवायी के पप्रग में।	तृतीय/(9)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
10-	तत्कालीन आवास आयुक्त के आदेश सं०-1666 सतर्कता-1980 दिनांक 20-6-86 के द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध श्री मोहम्मद शकील खॉ, अवर अभियन्ता के द्वारा 9-1-87 को प्रस्तुत अपील की सुनवायी।	तृतीय/(10)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
11-	तत्कालीन आवास आयुक्त के आदेश सं०-977 सतर्कता तथा 979 सतर्कता-85(785) दिनांक 17-5-86 के विरुद्ध श्री जे०पी० गुप्ता, अवर अभियन्ता के द्वारा दिनांक 16-8-86 को प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवायी के प्रसंग में।	तृतीय/(11)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।

1	2	3	4
12-	तत्कालीन आवास आयुक्त के आदेश सं०-1191/सतर्कता-4/81 (228) दिनांक 7-7-83 तथा आदेश सं०-1811 सतर्कता-4/81 (229) दिनांक 20-6-86 के विरुद्ध श्री एम०आर०खान, सहा० अभियन्ता के व्दारा दिनांक 29-10-86 को प्रेषित अपील की सुनवायी के प्रसंग में।	तृतीय/(12)/87	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
13-	अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति।	तृतीय/(13)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त किया गया।
14-	परिषद के माननीय सदस्यों को वेतन भत्तों की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(14)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्यों की बैठक के लिए भत्ता बढ़ाने हेतु रु० 60-00 मात्र प्रतिदिन भत्ता बहुत उचित प्रतीत होता है। अतः उचित होगा कि यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाय तथा साथ ही माननीय अध्यक्ष को उनको काफी समय पत्रावलियों के निस्तारण हेतु देना पड़ता है। अतः इस विषय पर भी अलग से शासन को प्रस्ताव भेजा जाय।
15-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद कर्मचारी कल्याण कोष विनियमावली-1987	तृतीय/(15)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
16-	श्रीमती ताहिरा बेगम, पत्नी स्व० श्री शाहिद हुसैन को बिश्थापित श्रेणी के अन्तर्गत इन्दिरानगर में मध्यम आय वर्ग भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(16)/87	परिषद की अगली बैठक के लिए विचारार्थ स्थगित।
17-	इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में श्रीमती सोफिया सुल्ताना को स्टाफ क्वार्टस हेतु आरक्षित भवन सं०-ए०-905 आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(17)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
18-	बेगम हजरत महल नगर (शेखुपुरा) लखनऊ में दु०आ०वर्ग-18/30 प्रकार के 223 नगर भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(18)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
19-	श्री निशीय एम०कटारा (पंजीकरण सं०-एल०डब्लू०/पी०-1073 (6) परिषद की कुर्सी रोड (विकासनगर योजना) से बिस्थापितों को इन्दिरा नगर लखनऊ में भूखण्ड दिये जाने हेतु।	तृतीय/(19)/87	परिषद की अगली बैठक के लिए विचारार्थ स्थगित।
20-	परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ में श्री कृष्ण खन्ना-को आवंटित उच्च आय वर्ग भवन सं०-3/55 की मासिक किश्तों का भुगतान व स्वामित्व पाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(20)/87	परिषद की अगली बैठक के लिए विचारार्थ स्थगित।

1	2	3	4
21-	श्री वी०बी०सक्सेना, को मेरठ में आवंटित भूखण्ड सं०-235/3 के भूमि दर के सम्बन्ध में।	तृतीय/(21)/87	परिषद की अगली बैठक के लिए विचारार्थ स्थगित।
22-	समस्त पंजीकृत को बिना सहमति लिए लाटरी ड्रा में सम्मिलित किये जाने हेतु।	तृतीय/(22)/87	इस सम्बन्ध में सचिव आवास एवं नगर विकास का मत था कि बिना सहमति के लाटरी डालना एक गलत प्रक्रिया होगी एवं जो लोग किसी विशिष्ट योजना में भवन नहीं लेना चाहते हैं उन्हें आवश्यक रूप से वित्तीय हानि उठानी पड़ेगी। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस विषय में फिलहाल जो कार्यालय आदेश जारी हो गये हैं उसके अनुसार कार्यवाही होती रहे परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की क्या प्रक्रिया है ज्ञात करें परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
23-	प्रेम चन्द्र नगर (बतियाहाता) दक्षिणी में श्री त्रियुगी नारायण मिश्र, सदस्य विधान सभा को भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में।	तृतीय/(23)/87	परिषद की अगली बैठक के लिए विचारार्थ स्थगित।
24-	मेरठ की योजना सं०-1 में टेलीफोन विभाग को प्रदिष्ट 1-99 एकड़ भूमि के देय मूल्य पर व्याज की धनराशि अवमुक्त करने के संदर्भ में।	तृतीय/(24)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाय। अतः व्याज लिये जाने का औचित्य नहीं है।
25-	विक्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में (लाभांश हेतु)	तृतीय/(25)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुरूप ही कार्यवाही की जाय।
26-	अनुपयोगी तथा अनुसूचित जाति स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की भूमि तथा अन्य जेनइन मामलों की भूमि को शासन द्वारा मुक्त करने हेतु संस्तुति करने के लिए आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष को अधिकारों का प्रतिनिहित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(26)/87	परिषद की अगली बैठक के लिए विचारार्थ स्थगित।
27-	आवास विकास की गुरुतेग बहादुर नगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, इलाहाबाद को परित्याग करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(27)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
28-	रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2 के कृषकों को प्रतिकर के अलावा एक्सग्रेशिया देने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(28)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवास-आयुक्त एवं जिलाधिकारी, रामपुर विचार-विमर्श करके यह संयुक्त रूप से निर्णय लेलें कि एक्सग्रेशिया की धनराशि ——— -क्या हो?उसे दे दिया जावे।

1	2	3	4
29-	हडको पोषित 5 योजनाओं के कार्यान्वियन् हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(29)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
30-	हडको वित्त पोषित 9 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु हडको व्दारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(30)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
31-	परिषद योजनाओं में सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि के आवंटन हेतु समिति गठित करने के संदर्भ में।	तृतीय/(31)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद योजनाओं में सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित किये जाने हेतु गठित समिति का पुर्नगठन निम्न प्रकार किया गया: - 1- अपर आवास आयुक्त अध्यक्ष 2- श्रीमती उमा त्रिपाठी सदस्य परिषद सदस्य। 3- श्री एन०एस०जौहरी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सद 4- श्री ए०के०पचौरी, मुख्य वास्तुविद् नियोजक समि सचि
32-	सचिव, आवास एवं नगर विकास का पत्र दि० 3-1-87	तृतीय/(32)/87	सचिव महोदय व्दारा सचिव, आवास एवं नगर विकास के पत्र में लिखी गयी बातों को पुनः पढ़ा गया एवं आवास आयुक्त के स्पष्टीकरण के पश्चात काफी मामलों में संतोष व्यक्त किया ग उन्होंने यह अवश्य जानना चाहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से पता कर यह स्थिति प्रस्तुत की जाय कि आवास एवं विकास परिषद के भवन मंहगें क्य है। परिषद व्दारा यह भी निर्णय लि गया कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी अधीक्षण अभियन्ताओं से तुरन्त सूचना प्राप्त कर निदेशक, उ०प्र० जल निगम से व्यक्ति गत रूप से सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उनकी रिपोर्ट देखकर स्थिति में सुधार किया जा सके। इस पत्र के प्रस्तर-7 की च के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि जहाँ-जहाँ कालोनियाँ बन चुकी है वह भी वृक्षारोपण का कार्य किया जाय। इन्दिरानगर में भी अधिक वृक्षारोपण कराया जाना सुनिश्चित करें। 2- भूखण्डों की भुगतान की अवधि अनावश्यक रूप से लम्बी कर दी गयी इसमें केवल 40 वर्गमीटर से कम वा भूखण्डों की भुगतान की अवधि तो ल रखी जा सकती है परन्तु अवशेष में अवधि अनावश्यक रूप से लम्बी रखी गयी है। इस मामले पर पुनः निर्णय जाय।

1	2	3	4
33-	देहरादून रोड योजना सं0-1, रुड़की में सड़कों के निर्माण हेतु परीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(33)/87	परिषद के विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
34-	परिषद योजनाओं के नामांकन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(34)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परिषद की योजनाओं के नामांकन के सम्बन्ध में समिति का निम्न प्रकार पुर्नगठन किया गया:- 1- सर्वश्री खान गुफरान ज़ाहिदी — अध्यक्ष 2- चन्द्र पाल, आवास आयुक्त — सदस्य 3- योगेश बंसल — सदस्य 4- माता प्रसाद — सदस्य 5- ए0के0पचौरी, मुख्य वा0नि0 — सदस्य
35-	परिषद की विभिन्न योजनाओं में विकास कार्यों हेतु आवश्यक विशेष संयंत्र क्रय करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(35)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से एक बुलडोज़र तथा एक रोड रोलर क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी परन्तु परफारमेन्स तथा डिलेवरी की शर्तें तय कर ली जाय।
36-	बुलन्दशहर, हाथरस तथा मैनपुरी योजनाओं में वाह्य विद्युतीकरण के कार्यों हेतु पूर्व में निर्गत की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(36)/87	परिषद के विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
37-	कुर्सी रोड योजना लखनऊ में स्वंय वित्त पोषित योजना वर्ष-84 के अन्तर्गत निर्माणाधीन श्रेणी 'ब' के 15 भवनों तथा 2- योजना सं0-7 फेज-2 मेरठ में स्वंय वित्त पोषित योजना वर्ष-84 के अन्तर्गत योजना, आगरा सेक्टर-16 में चतुर्थ हडको परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन म0आ0व0-53/127 प्रकार के 95 भवनों के निर्माण हेतु निर्गत की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को विस्तृत ~~प्राक्~~ प्राक्कलन के आधार पर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(37)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
38-	जोवरी योजना बाराबंकी के कब्ज़ा प्राप्त भूमि 63-71 एकड़ पर विकास कार्य कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(38)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
39-	कानपुर नगर को विशिष्ट श्रेणी घोषित करने के फलस्वरूप नगर प्रतिकर भत्ते की स्वीकृति।	तृतीय/(39)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संभावित वित्तीय भार बढ़ाने के आदेश सहित पुनः प्रस्तुत किया जाय।
40-	देहरादून रोड योजना रुड़की के फेज-2 में वाह्य विद्युतीकरण के कार्यों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(40)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
41-	एन०सी०आर०बोर्ड से मेरठ में भूमि अध्याप्ति के लिए ऋण लेने की स्वीकृति का प्रस्ताव।	तृतीय/(41)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
42-	श्री श्याम सिंह कमल व्दारा ट्रान्सपोर्टनगर मेरठ में भूखण्ड सं०-52 एवं ए०-60 के विरुद्ध लगायी गयी उच्चतम बोली को स्वीकार न करने के संदर्भ में प्रत्यावेदन।	तृतीय/(42)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
43-	इन्दिरानगर लखनऊ में स्वंय वित्त पोषित स्कीम-1983 के अन्तर्गत श्री माता-प्रसाद को प्रदिष्ट भवन सं०-20/25 के मूल्य में ली गयी व्याज की धनराशि को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(43)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
44-	कुर्सी रोड योजना, लखनऊ में श्री कृष्ण कुमार बाजपेयी को प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन सं०-डी०-3/152 को इन्दिरानगर लखनऊ में भवन सं०-304 डी० 1115 ए०-905/5 अथवा सी०-1234 में से परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(44)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
45-	वर्ष-1987-88 में उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद व्दारा बाजार ऋण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण टिप्पणी।	तृतीय/(45)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
46-	वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग का पुनर्गठन।	तृतीय/(46)/87	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बदली हुई परिस्थितियों में यह प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।
47-	इन्दिरानगर लखनऊ में श्री प्रभाकर प्रसाद को प्रदिष्ट भूखण्ड सं०-16/615 का मूल्य रु० 200/-प्रति वर्गमीटर की दर से लिये जाने हेतु।	तृतीय/(47)/87	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
48-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद का वित्तीय वर्ष-1986-87 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-1987-88 का अनुमानित आय व्ययक का प्रस्तुतीकरण।	तृतीय/(48)/87	सचिव, आवास एवं नगर विकास तथा संयुक्त सचिव वित्त का स्पष्ट मत था

1 | 2 | 3 | 4

कि 150-00 करोड़ से अधिक साधन जुटा पाना परिषद के लिए संभव नहीं है और न ही इतनी सम्पत्तियाँ बनाकर उनका आवंटन व्यवहारिक है। अतः गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न न हो इस लिए केवल 150-00 करोड़ की स्वीकृति देने हेतु अनुमानित साधन इस प्रकार आंके गये हैं:-

कैपिटल रिसीट

1- हडको	40.00 करोड़
2- शासन	5.00 करोड़
3- बैंक	5.00 करोड़
4-एल0आई0सी0	8.50 करोड़
5-डिबेन्चर्स	10.00 करोड़
6-एन0सी0आर0	2.50 करोड़
7-पंजीकरण से प्राप्ति	15.00 करोड़
	86.00 करोड़

रेवेन्यू रिसीटः-

1- स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत	10.00 करोड़
2- अतिरिक्त सरचार्ज	4.00 करोड़
3- सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त-	40.00 करोड़
4-अन्य	10.00 करोड़
	64.00 करोड़
सम्पूर्ण योग-	150.00 करोड़

व्ययः-

1-ऋणों की वापसी ब्याज सहित-	38.00 करोड़
2- पंजीकरणराशि की वापसी ब्याज सहित—	6.00 करोड़
3- अधिष्ठान व्यय	8.00 करोड़
4- भूमि.अर्जन विकास/ निर्माण—	92.00 करोड़
5- विविध-	6.00 करोड़
	150-00 करोड़

इन्हीं परिस्थितियों में [illegible] आंकड़ों को पुनरीक्षित किया जाय और परिषद को सूचित किया जाय। यदि परिषद अतिरिक्त संसाधन जुटा सकती है तो वह पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत करें।

1	2	3	4
49-	उ0प्र0 विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को विधायिका आवास समिति के माध्यम से परिषद की योजनाओं में प्रदिष्ट शासन से एक लाख रुपये की ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में लिए जाने, आवंटन निरस्त न करने तथा कोई ब्याज दण्ड न लगाये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(49)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि चूंकि विभिन्न प्राधिकरणों एवं आवास परिषदों द्वारा विधायकों के मामलों में एक ही प्रकार का निर्णय लिया जाना उचित होगा। अतः इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित किया जाय।
50-	राजपुर रोड योजना, देहरादून के अन्तर्गत डा0 अम्मार रिज़वी को स्वयं वित्त पोषित भवन सं0-6 के विरुद्ध भुगतान हेतु समय वृद्धि हेतु।	तृतीय/(50)/87	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि मामला जटिल है। अतः अध्यक्ष एवं सचिव, आवास एवं नगर विकास परीक्षण करके संयुक्त रूप से निर्णय लेलें। यह निर्णय परिषद का निर्णय माना जायेगा।
51-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	तृतीय/(51)/87	1-परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:- (1) दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवंटन नियम मंगवा लिए जाएं एवं इसी परिप्रेक्ष्य में परिषद के नियमों को भी यदि आवश्यक हो, तो संशोधित किया जाय। (2) जहां-जहां परिषद के पास भूमि नहीं है वहां पंजीकरण खोली जानी उचित नहीं है। (3) 31 मई-1987 के पश्चात् पंजीकरण की अवधि न बढ़ाई जाय।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष

फ्रेन्कलीन-14-9-87